



दूरभाष—2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ
नवघेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ— 226001

माननीय उच्चतम न्यायालय प्रकरण / अति महत्वपूर्ण

पत्रांक— 3071 / 241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-III

दिनांक ०५/।।/ 2015

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण

लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली,
मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, झाँसी, मथुरा, मऊ, इटावा, मिर्जापुर, उन्नाव,
फैजाबाद, बरती, बलरामपुर, चित्रकूट, संत कबीर नगर, महाराजगंज।

2. नगर आयुक्त

नगर निगम— लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद,
बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, झाँसी।

3. अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद— मथुरा, मऊ, इटावा, मिर्जापुर, उन्नाव, फैजाबाद, बरती,
बलरामपुर, चित्रकूट, खलीलाबाद, महाराजगंज, मोदीनगर।विषय:—पूर्व से संचालित शहरी बेघरों हेतु आश्रय (Shelters) के उच्चीकरण / सुधार का प्रस्ताव
उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना विषयक इस अभिकरण के पत्र सं0—
2140/241/NULM/तीन/2001 दिनांक 21.08.15 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत
कराया गया था कि शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा
कठिपय संशोधन करते हुए आंशिक शिथिलता प्रदान की गई है, जिसके अनुसार पिशेष
परिस्थितियों में 50 शहरी बेघरों की क्षमता से कम के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान किये जाने के
निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के साथ ही निर्मित/अपग्रेड किये जाने वाले शेल्टर होम के 05
वर्षों तक संचालन हेतु 50 शहरी बेघरों हेतु पूर्व में प्रावधानित धनराशि रु0 06.00 लाख के स्थान
पर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त एवं औद्योगिक धनराशि का प्रावधान किया जा
सकता है, जिसके औद्योगिक एवं उपयुक्तता पर राज्य परियोजना रवीकृति समिति द्वारा विचार कर
निर्णय लिये जाने का प्रावधान किया गया है और अपेक्षा की गई थी कि अपने शहर में पूर्व से
संचालित शेल्टर्स के उच्चीकरण का योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्था
सी0एण्ड डी0एस0 के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,
ताकि परियोजनाएं त्वरित गति से रवीकृति कराकर शीतकाल से पूर्व शेल्टर्स शहरी बेघरों के रहने
योग्य बनाते हुए मात्र उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये जा रहे निर्देशों के अनुपालन की दिशा में
प्रगति दिखाई जा सके। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि आपके नगरीय निकाय से उच्चीकरण
के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि शीत काल प्रारम्भ हो गया है।

प्रदेश के नगरीय निकायों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार में उनके सम्मुख अंकित पूर्व से
संचालित/विद्यमान आश्रय गृहों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र0सं0	निकाय का नाम	पूर्व रो विद्यमान आश्रयगृह	अपग्रेड हेतु निकाय द्वारा प्रेषित एवं स्वीकृत प्रस्ताव	निकाय में उपलब्ध आश्रय जिन्हें अपग्रेड किया जा सकता है
1	लखनऊ— नगर निगम	23	2	21
2	कानपुर नगर— नगर निगम	27	2	25
3	गाजियाबाद — नगर निगम	14	0	14



दूरभाष-2286709

2286711


राज्य नगरीय विकास अभियान उ0प्र0 लखनऊ
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

4	आगरा — नगर निगम	15	0	15
5	मेरठ— नगर निगम	12	0	12
6	बाराणसी— नगर निगम	12	0	12
7	इलाहाबाद— नगर निगम	11	0	11
8	बरेली— नगर निगम	8	0	8
9	मुरादाबाद— नगर निगम	7	0	7
10	अलीगढ़— नगर निगम	7	0	7
11	सहारनपुर— नगर निगम	2	0	2
12	गोरखपुर— नगर निगम	7	0	7
13	झांसी— नगर निगम	3	0	3
14	मथुरा— नगर पालिका परिषद	3	0	3
15	मऊ— नगर पालिका परिषद	1	0	1
16	इटावा— नगर पालिका परिषद	1	0	1
17	मिर्जापुर— नगर पालिका परिषद	2	0	2
18	उन्नाव— नगर पालिका परिषद	1	0	1
19	फैजाबाद— नगर पालिका परिषद	4	0	4
20	बरती— नगर पालिका परिषद	1	0	1
21	बलरामपुर— नगर पालिका परिषद	1	0	1
22	चित्रकूट— नगर पालिका परिषद	1	0	1
23	खलीलाबाद (संत कबीर नगर)— नगर पालिका परिषद	3	0	3
24	महाराजगंज— नगर पालिका परिषद	1	0	1
25	मोदी नगर, गाजियाबाद— नगर पालिका परिषद	1	0	1

उक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा पूर्व से विद्यमान आश्रय गृहों के उच्चीकरण/सुधार के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे आने वाले समय में माननीय उच्चतम न्यायालय में विधम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार पूर्व से विद्यमान आश्रय गृहों के उच्चीकरण/सुधार/नवीकरण के साथ उनके 05 वर्षों तक संचालन व रखरखाव हेतु प्रस्ताव/डी0पी0आर0 शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


 (शीलेन्द्र कुमार सिंह)
 मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सविध, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
- सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने रतर से भी यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- सहायक वेब गार्स्टर सूडा, उ0प्र0 को सूडा की वेबसाइट पर पत्र अपलोड हेतु।


 (शीलेन्द्र कुमार सिंह)
 मिशन निदेशक